

प्रेस नोट

थाना – अहरौला

अवैध असलहा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक- 31.03.2024 को उ0नि0 श्रीप्रकाश मिश्रा मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान मंगारीपुर पुलिया के पास एक शातिर अभियुक्त चिनगी उर्फ आसिक पुत्र सौकत उर्फ गोगा उम्र 42 वर्ष निवासी रेडहा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ को एक तमंचा .315 बोर व एक जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ समय 07.30 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त- चिनगी उर्फ आसिक पुत्र सौकत उर्फ गोगा निवासी रेडहा थाना अहरौला आजमगढ़।

बरामदगी- एक तमंचा .315 बोर व एक जिन्दा कारतूस .315 बोर

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 129/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अहरौला आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 15/20 धारा 3/5/8 गो0अधि0 तथा 427 भादवि0 थाना अतरौलिया आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 94/21 धारा 147/148/149/323/452/504/506 भादवि0 थाना अहरौला आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 53/20 धारा 31 गैगैस्टर एक्ट थाना अतरौलिया आजमगढ़।
4. मु0अ0सं0 331/23 धारा 323/34/504/506 भादवि0 थाना अहरौला आजमगढ़।
5. मु0अ0सं0 378/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अहरौला आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 श्रीप्रकाश मिश्रा मय हमराह थाना अहरौला आजमगढ़।

थाना- जीयनपुर

अवैध असलहा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक- 30/03/2024 को व0उ0नि0 देवेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान रजादेपुर मोड से पहले नहर पुलिया के पास से अभियुक्त शिवा उपाध्याय पुत्र दीनदयाल उपाध्याय निवासी एकवनडाड थाना जीयनपुर आजमगढ़ उम्र करीब उम्र 19वर्ष को एक तमंचा .303 बोर एक कारतूस .303 बोर के साथ समय करीब 10:15 बजे रात्रि हिरासत पुलिस में लिया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 125/2024 धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है जिसकी विवेचना उ0नि0 गुरुदयाल यादव द्वारा सम्पादित की जा रही है।

बरामदगी का विवरण:- एक तमंचा .303 बोर व पैट के जेब से एक जिन्दा कारतूस .303 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त- शिवा उपाध्याय पुत्र दीनदयाल उपाध्याय निवासी एकवनडाड थाना जीयनपुर आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 125/2024 धारा 3/7/25A ACT थाना जीयनपुर आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1. मु0असं0 641/2023 धारा 379/411 भादवि थाना जीयनपुर आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 338/2023 धारा 420/467/468/471 भादवि थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ
3. मु0अ0सं0 44/2023 धारा 392/411 भादवि थाना घोसी जनपद मऊ
4. मु0अ0सं0 32/2023 धारा 34/379/411/413/414/420/467/468/471 भादवि थाना कोपागंज जनपद मऊ
5. मु0अ0सं0 28/2023 धारा 34/392/411/413/414/420/467/468/471 भादवि व 3/25 A ACT थाना कोपागंज जनपद मऊ

गिरफ्तारी करने वाली टीम- व0उ0नि0 देवेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह थाना जीयनपुर आजमगढ़

प्रेस-विज्ञप्ति

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 04 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 02 वर्ष के कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना मेंहनगर: 04 आरोपी अभियुक्तों को 02-02 वर्ष के कारावास व 4500/- रूपये जुर्माना

➡ दिनांक-04.05.2003 को वादी मुकदमा रामजीत चौहान पुत्र टिल्लू चौहान निवासी गोपालपुर थाना मेंहनगर आजमगढ़ के लिखित तहरीर पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 112/2003 धारा 307/352/427/504/506 भादवि बनाम 1. हीरालाल पुत्र स्व0 रामलाल, 2- रामनरायन पुत्र सून्ना, 3- राम अवध पुत्र रामजीत उर्फ जीता, 4- हवलदार पुत्र रामधीन साकिनान गोपालपुर, थाना मेंहनगर, आजमगढ़ पंजीकृत किया गया था।

➡ उपरोक्त अभियोग में अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ जिसके क्रम में आज दिनांक- 31.03.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. हीरालाल पुत्र स्व0 रामलाल, 2- रामनरायन पुत्र सून्ना, 3- राम अवध पुत्र रामजीत उर्फ जीता, 4- हवलदार पुत्र रामधीन साकिनान गोपालपुर, थाना मेंहनगर, आजमगढ़ को धारा 307/506 भादवि में दोष मुक्त तथा धारा 427/504 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक अभियुक्त को 02-02 वर्ष के कारावास एवं 4500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।